संख्या–वे0आ0–2–2063/ दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषयः–– प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपकमों / निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त / कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपकमों / निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त / कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपकमों / निगमों में विनियमितीकरण के फलस्वरुप आने वाला वित्तीय व्यय–भार सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता देय नहीं होगी।

3– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग के परामर्श / सहमति से आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 2063 (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
(2) समस्त वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(4) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 62 सा0 वित्त–10–9–2010–(1008)–2000 प्रतियां–(कम्प्यु0 / टी / आफसेट)।